उत्तराखण्ड पुलिस

सामुदायिक पुलिसिंग

सामुदायिक पुलिसिंग

प्रस्तावनाः

आप अवगत हैं कि मार्च 2008 में उत्तराखण्ड राज्य में नया पुलिस–एक्ट अधिसूचित किया गया है। इस एक्ट में पहली बार सामुदायिक–पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है । यदि इसके प्राविधानों को हम सही प्रकार से लागू कर पायें तो निश्चित रूप से जनता एवं पुलिस के मध्य संवाद की स्थिति को सुधारने में सफल होंगे।

प्रथम चरण

सामुदायिक पुलिसिंग के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट के प्रस्तर–61 में प्राविधान किया गया है । इस उद्देश्य की दिशा में प्रथम चरण के रूप में प्रदेश के प्रत्येक थाना क्षेत्र में ''**सामुदायिक सम्पर्क समूहों**''**(CLG)** की स्थापना की जा चुकी है एवं इनके संचालन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

सीएलजी की भूमिका ''**सामुदायिक पुलिसिंग**'' के अन्तर्गत निम्नवत् निर्धारित की गई है :–

सीएलजी की भूमिकाः

1 पुलिस और स्थानीय नागरिकों के मध्य कड़ी का काम करते हुये बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करना।

2 समाज की सुरक्षा व्यवस्था, शान्ति एवं सद्भावना बनाये रखने में सीएलजी द्वारा सहयोग प्रदान करना। सीएलजी का उपयोग स्थानीय विवादों को सुलझाने हेतु पुलिस द्वारा किया जायेगा।

3 पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये पुलिस कर्मचारियों के प्रतिकूल व्यवहार को स्थानीय पुलिस नेतृत्व के संज्ञान में लाना।

4 सीएलजी द्वारा पुलिस के साथ उसके जनहित के कार्यों में यथासंभव भाग लेते हुये स्थानीय समाज को लाभान्वित करना।

सीएलजी का स्वरूप निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

1– ग्रामीण सीएलजी–

आम सहमति से समाज के सभी वर्गों से चुने गये विवाद रहित 7 से 15 सदस्य गण जिनमें कम से कम दो ग्राम पंचायत सदस्य हों।

2– शहरी सीएलजी

क्षेत्र की समस्याओं की समझ रखने वाले समाज के समस्त वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले विवाद रहित 10 से 15 सदस्य गण।

सीएलजी सदस्य की अपात्रताः

1 किसी भी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने अथवा किसी मुकदमें में अभियुक्त होने पर।

2 किसी विवादित सम्पत्ति अथवा लेन–देन के मामले में वांछित होने पर।

3 सीएलजी का दो वर्ष तक लगातार सदस्य रहने पर।

4 बार–बार पुलिस का गवाह होने या अपराधियों के साथ लिप्तता होने पर।
5 व्यक्तिगत रूप से **अपराधिक** छवि होने की दशा में।
6 राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा किसी यूनियन का सदस्य होने की दशा में।

सीएलजी की समय–बद्ध–कार्यवाहियॉ

सभी क्षेत्रों में गठित सीएलजी की पुलिस द्वारा समयबद्ध तरीके से बैठकें आयोजित करायी जायेंगी। इन बैठकों का उद्‌देश्य थाना क्षेत्र में रहने वालों की अपेक्षाओं एवं समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर समाधान कराना होगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष सीएलजी के साथ निम्नवत् गोष्ठियॉ आयोजित की जायेंगी।

1 **तीन माह** में एक बार सीएलजी के साथ स्थानीय **पंचायत/ नगर निकाय के प्रतिनिधियों** के साथ गोष्ठी।
2 **तीन माह** में एक बार सीएलजी व **ग्राम चौकीदारों** की बैठक।
3 **तीन माह** में एक बार सीएलजी के साथ **उप जिलाधिकारी** की अध्यक्षता में अन्य विभागों के स्थानीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी।
4 थाना क्षेत्र के अन्तर्गत निवासरत सभी **बुद्धिजीवी** वर्ग जैसे एडवोकेट, चिकित्सक, शिक्षक आदि की सीएलजी के साथ **छः माह** में एक बार बैठक आयोजित की जाय।
5 **छः माह** में एक बार सीएलजी के साथ **मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों** के औपचारिक पदाधिकारियों के साथ बैठक।
6 **छः माह** में एक बार सीएलजी के साथ **छात्र संगठनों एवं स्कूल कालेजों** आदि के प्रबन्धतंत्र के साथ बैठक।
7 **छः माह** में एक बार सीएलजी के साथ स्थानीय रूप से **सक्रिय श्रम संगठनों** के पदाधिकारियों के साथ बैठक।
8 **छः माह** में एक बार सीएलजी के साथ स्थानीय **धर्मगुरूओं** की बैठक।

कार्य–योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सीएलजी की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है एवं इन समूहों को दिन प्रतिदिन प्रभावी एवं उपयोगी बनाये जाने की सतत् आवश्यकता है।

यह सभी बैठकें स्थानीय पुलिस थानों द्वारा आयोजित की जायेंगी और क्षेत्राधिकारी उनमें उपस्थित रहेंगे। यदि संभव हो तो पुलिस अधीक्षक/ अपर पुलिस अधीक्षक भी बैठक में भाग लेंगे। इस हेतु थानास्तर पर एक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें गोष्ठियों के कार्य बिन्दु अंकित कर अनुपालन की स्थिति अंकित की जायेगी। इस रजिस्टर का अवलोकन किसी भी सीएलजी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा।

द्वितीय चरण

सामुदायिक पुलिसिंग के द्वितीय–चरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में क्रमिक रूप से बीट–सिस्टम को लागू करना शीर्षस्थ उद्‌देश्य है।

वर्तमान में पुलिस कर्मियों की उपलब्धता को देखते हुये सम्पूर्ण प्रदेश में प्रथमतः चयनित चार जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर में प्राथमिकता के आधार पर **500 कम्युनिटी–पुलिस बीटस** का चयन किया जायेगा।

शेष जनपदों में प्रत्येक जनपद प्रभारी द्वारा जनपद में उपलब्ध पुलिस बीटों में से इस पत्र में वर्णित बीट चयन के आधारों के अनुरूप जनपद में फोर्स की उपलब्धता के अनुसार कुछ बीट एवं जिले की अपराध एवं कानून–व्यवस्था के स्थिति अनुरूप कम से कम (3 या 4) का चयन कर इनका

प्रबन्धन पुलिस कम्युनिटी बीट के आधार पर किया जायेगा। इन जनपदों को वर्तमान में अतिरिक्त फोर्स देना सम्भव नहीं है।

प्रत्येक जनपद प्रभारी जनपद को आवंटित बीट संख्या के अनुसार स्वंय विवेक से बीटों की सीमा का निर्धारण करेंगे।

कम्युनिटी–पुलिस बीट चयन का आधार–

बीट चयन हेतु निम्न मार्गदर्शक बिन्दु निम्नवत् हैं

1 जनसंख्या घनत्व

2 अपराधिक गतिविधि

3 व्यवसायिक गतिविधियाँ

4 महत्वपूर्ण सामाजिक/ धार्मिक आयोजन

5 मिश्रित आबादी

6 साम्प्रदायिक संवेदनशीलता

कम्युनिटी–पुलिस बीट हेतु पुलिस बल–

1 प्रत्येक बीट में 2 समर्पित पुलिस कर्मी तैनात किये जायेंगे।

2 अति संवेदनशील बीटों में दोनों पुलिस कर्मी अनुभवी होने चाहिये।

3 सामान्य संवेदनशील बीटों में एक अनुभवी पुलिस कर्मी के साथ एक नया पुलिस कर्मी तैनात किया जा सकता है।

इस कार्य हेतु दोनों परिक्षेत्रों के जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल को प्रति बीट 2 पुलिस कर्मी के आधार पर मुख्यालय स्तर से पुलिस बल माह अक्टूबर में प्रदान किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कम्यूनिटी–पुलिस बीटों का गठन माह अक्टूबर के पूर्व अंतिम रूप से कर लिया जाये।

चयनित जनपदों में कम्युनिटी–पुलिस बीट्स का वितरण

गढ़वाल परिक्षेत्र–

1–जनपद देहरादून 2–जनपद हरिद्वार	कुल 300 बीटस (600 पुलिस कर्मी)

कुमायुँ परिक्षेत्र–

1–जनपद नैनीताल 2–जनपद ऊधमसिंहनगर	कुल 200 बीटस (400 पुलिस कर्मी)

परिक्षेत्र प्रभारी अपने परिक्षेत्र अन्तर्गत दोनों जनपदों में अपने विवेकानुसार बीटों की संख्या निर्धारित करेंगे। चयनित जनपदों में कम्युनिटी पुलिस बीट जनपद की पूर्व से प्रचलित बीटों के अतिरिक्त होगी।

बीट अधिकारी की भूमिका

कम्युनिटी पुलिस बीट का कार्य प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम बीट–अधिकारी द्वारा जन अपेक्षाओं एवं ज्वलन्त समस्याओं को सीधे जानकारी करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत एक सरल और सीधी प्रश्न–सूची बीट क्षेत्र के समस्त वर्गों में वितरित कर जनता के उत्तरों

सहित प्राप्त की जायेगी। इन प्रश्नोंत्तर का विवेचन कर बीट क्षेत्र की समस्याओं का चिन्हांकन कर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये ताकि बीट क्षेत्र में पुलिस प्रयासों का अपेक्षित प्रभाव जनता महसूस करे। **(प्रश्नोत्तर का प्रारूप संलग्न है।)**

- बीट आरक्षी पुलिस विभाग और समुदाय के बीच प्रथम कड़ी के रूप में कार्य करेगा। यह जनता के बीच पुलिस के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहिचान स्थापित करेगा।
- बीट आरक्षी समुदायिक सम्पर्क समूहों (CLG) के निकट सम्पर्क में रहेगा।
- बीट आरक्षी गण अपने पास एक बीट बुक रखेगें। इस बीट बुक में उनके कार्य क्षेत्र की भौगौलिक सीमा के अन्तर्गत सभी आवश्यक सूचनायें अंकित रखी जायेगीं। इस बीट बुक का प्रारूप जनपद देहरादून में तैयार की गई बीट बुक के समान होगा। यह प्रारूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून से प्राप्त किया जायेगा।
- बीट क्षेत्र में इन दोनों आरक्षीगणों के बैठने हेतु एक नियत स्थान उपलब्ध होगा जहॉ इनसे सम्पर्क हो सके।
- सप्ताह में एक बार बीट आरक्षी गण बारी–2 क्षेत्र के मुकामी थाने पर उपस्थित होगें एवं थानाध्यक्ष से भेंट करेगें। इस भेंट का तस्करा रोजनामचा आम में दर्ज होगा।
- स्थानीय निवासी अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में बीट–अधिकारी को शिकायत दे सकेंगे जिनके समाधान हेतु बीट अधिकारी द्वारा कोशिश की जायेगी। यदि आवश्यकता हो तो बीट–अधिकारी थाने से समाधान हेतु सहायता ले सकेंगे।
- बीट आरक्षी का व्यवहार एवं आचरण पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगा।
- मानव अधिकार संरक्षण के प्रति जागरूक हों।
- समुदाय के प्रति सेवा–भाव सर्वोच्च हो।
- समाधान–परक सोच हो।
- टीम भावना से कार्य करें।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अहसास हो।
- कानून का सम्मान करें।
- स्वंय के उदाहरण से उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करें।
- समाज के ऐसे वर्ग, जो पुलिस के लिये ऑख और कान कार्य कर सकते हैं, उन सब लोगों से बीट आरक्षी का उच्च समन्वय एवं तालमेल चमत्कारिक परिणाम दे सकता है । मार्गदर्शन हेतु यह सूची संलग्न की जा रही है।
  (यह सूची मार्गदर्शक है पूर्णतः विस्तृत नहीं है। इस सूची में आवश्यकतानुसार समाज के अन्य वर्गों को सम्मिलित किया जा सकता है)

➢ रेसिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन।
➢ व्यापार संघ।
➢ नागरिक सुरक्षा समिति।
➢ एसटीडी/आईएसडी बूथ के कर्मचारी।
➢ साईबर कैफे।
➢ धोबी/नाई/मोची/प्लमबर/ चाबी बनाने वाले / कबाड़ी–आदि।
➢ विद्यार्थी
➢ पैट्रोल पम्प के कर्मचारी।
➢ पोश एरिया के डाक्टर/ झुग्गी झोपड़ियों में अवस्थित क्लीनिक के डाक्टर।

- ➢ घरेलु नौकर उपलब्ध कराने वाले व्यवस्थापक।
- ➢ टी0वी0 / फ्रिज / कम्प्यूटर मैकेनिक।

बीट अधिकारी के कर्त्तव्य

- बीट में विद्यमान सभी पुराने विवादों / रंजिश के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति गतिविधियों के बारे में जानकारी करेंगे। उनमें वह प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जिनकी प्रविष्टि थाने के रंजिश रजिस्टर में हो।
- चोर, नकबजन, लुटेरे, पेशेवर व सक्रिय अपराधियों की वर्तमान स्थिति व गतिविधियों की जानकारी ।
- जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी कर लाभप्रद सूचना संकलित करना।
- वॉछित अपराधी एवं बिना जमानती वारंट से सम्बन्धित अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति व उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में ।
- फड़–फेरी, ठेलीवाले, कबाड़ी, मोची, पान की दुकान वाले आदि व्यक्तियों से सप्ताह में एक बार सम्पर्क कर अपराधिक तत्वों के सम्बन्ध में सूचना संकलित करना।
- बाहरी व्यक्ति, किरायेदार एवं संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करना एवं महत्वपूर्ण / लाभप्रद सूचना प्राप्त करना।
- रात्रि पैट्रौलिंग के समय बैक, पोस्ट आफ्सि, एटीएम, सर्राफा एवं मूल्यवान सम्पत्ति की दुकानों की भौतिक रूप से चैकिंग एवं कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो उसकी जानकारी देंगे।
- गश्त का संचालन एवं सप्ताह में बीट में दोनों अधिकारियों द्वारा 3 रात्रि गश्त किये जायेंगे।
- समुदाय की समस्याओं हेतु समाधान –परक सोच।
- क्षेत्र में नौकरों एवं अजनवियों का सत्यापन।
- अपनी क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ घनिष्टता एवं निकटता रखना।
- कम से कम छः घण्टे प्रतिदिन अपने क्षेत्र में रहना।
- क्षेत्र–वासियों के मन में कानून के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत करना।
- विधिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में जानकारी देना।
- सीएलजी हेतु नोडल अधिकारीं।
- अभिसूचना संकलन द्वारा पुलिस कार्यों में सहयोग।
- क्षेत्र में अपराधियों की सूचना संकलन एवं प्रेषण करना। पुलिस द्वारा चलाये जाने वाले अभियोनों में पूर्ण सहयोग।
- अपराध–स्थल की सुरक्षा करना।
- वादी एवं गवाहों से पूछताछ में थाना पुलिस का सहयोग।
- वाहनों एवं स्थलों की तलाशी में सहयोग।
- अहकामात् की तामील।

बीट आरक्षी निम्न बिन्दुओं पर पाक्षिक आख्या थानाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे:—

1 माह में कितने सीएलजी सदस्यों से सम्पर्क किया गया ? उल्लेखनीय बिन्दु यदि कोई हो ।
2 माह में कितने फड़—फेरी वालों को चैक किया ?
3 माह में थाने से प्राप्त कितने अहकामात् तामील किये ?
4 माह में कितनी अपराधिक अभिसूचनायें थानाध्यक्ष को दी ?
5 माह में बीट क्षेत्र में घटित महत्वपूर्ण घटना यदि कोई हो ?
6 क्षेत्र के अपराधिक एवं कानून—व्यवस्था की गतिविधियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी।
7 अन्य बिन्दु जो बीट अधिकारी थानाध्यक्ष के संज्ञान में लाना चाहें।

बीट आरक्षी हेतु संसाधन

- बीट क्षेत्र में बीट अधिकारी हेतु बीट—बाक्स की व्यवस्था जनपद पुलिस प्रभारी करेंगे।
- बीट क्षेत्र में "बीट—पाइन्ट" पर बैठने हेतु हल्का फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा एवं मौसम से बचाव हेतु मौके के अनुसार व्यवस्था कराई जायेगी।
- देहरादून एवं हरिद्वार सिटी में बीट आरक्षियों को वाकी—टाकी उपलब्ध कराया जायेगा।
- बीट आरक्षियों को मोटर साइकिल क्रय करने हेतु विभागीय स्तर से "सरल ऋण" सुविधा प्रदान की जायेगी।
- मोटर साइकिल के ईधन व्यय हेतु मासिक कोटा निर्धारित कर उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक बीट आरक्षी को टार्च, फायबर ग्लास बेटन, वाटर बाटल, काला हैट, लैदर बैग।

मानीटरिंग एवं प्रोत्साहन :

- क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में बीट आरक्षियों की बैठक ली जायेगी, जिसमें थानाध्यक्ष व चौकी/हल्का इंचार्ज भी भाग लेंगे। इसमें बीट प्रणाली की प्रभावशीलता का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- क्षेत्राधिकारी द्वारा बीट प्रणाली की उपलब्धियों का विवरण क्राईम मीटिंग के दौरान जनपद पुलिस प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आगामी माह हेतु बीट—वार कार्य योजना भी उपलब्ध करायेंगे।
- थानाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कार्य—गुणता एवं स्थानीय लोगों से विचार—विमर्श के आधार पर Best-Beat Officer का चयन किया जायेगा। दो बार चुने जाने पर एक उत्तम प्रविष्टि प्रदान की जायेगी।
- जनपद पुलिस प्रभारी द्वारा प्रत्येक माह में अपने जनपद में एक Best-Beat Officer एवं Best- CLG Member का चयन किया जायेगा। चयनित कर्मी को नगद पुरस्कार एवं CLG Member को सम्मान पत्र दिया जायेगा।
- प्रत्येक त्रैमास में रेंज स्तर पर तीन Best-Beat Officer's एवं तीन Best CLG-Member का चयन किया जायेगा। चयनित बीट अफसर को नगद पुरस्कार एवं CLG Member को सम्मान पत्र दिया जायेगा।

- जनपद के राजपत्रित अधिकारी, थानाध्यक्ष एवं उपनिरीक्षक द्वारा अपने आकस्मिक निरीक्षणों के द्वारा बीट आरक्षियों की दक्षता बढ़ाने एवं उनकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा।
- प्रत्येक वर्ष प्रदेश स्तर पर रेंज स्तर से प्राप्त नामांकनों के आधार पर तीन Best Beat-Officer's एवं Best CLG-Member का चयन कर Raising Day Function में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा।
- पुलिस महानिदेशक स्तर से दिये जाने वाले उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा पदकों में सामुदायिक पुलिसिंग की श्रेणी के अन्तर्गत भी पात्रता निर्धारण हेतु विचार किया जायेगा।

अन्त में :

सामुदायिक पुलिसिंग की स्थापना एक वृहत कार्य है इसके लिये अथक प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होगी। इस प्रारम्भिक कार्य–योजना को लागू कर यथा समय एवं यथा आवश्यकता आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं। कम्यूनिटी पुलिसिंग के उद्‌देश्य के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्क़ड़–नाटक आदि रचनात्मक माध्यमों से जन–जन तक पहुँचाने हेतु प्रचार–प्रसार सेल को आगामी समय में गठित किया जायेगा।